अध्याय - III
राज्य उत्पाद

अध्याय-III: राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, से शासित होता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। वे राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। मुख्यालय में एक उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा उनको सहयोग किया जाता है। तदन्तर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों[1] में, प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन, विभक्त हैं। प्रमण्डलों को पुन: 19 उत्पाद जिलों[2] में, प्रत्येक जिला एक सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन, विभक्त किया गया है।

विभाग की संगठनात्मक तालिका निम्न प्रकार है:

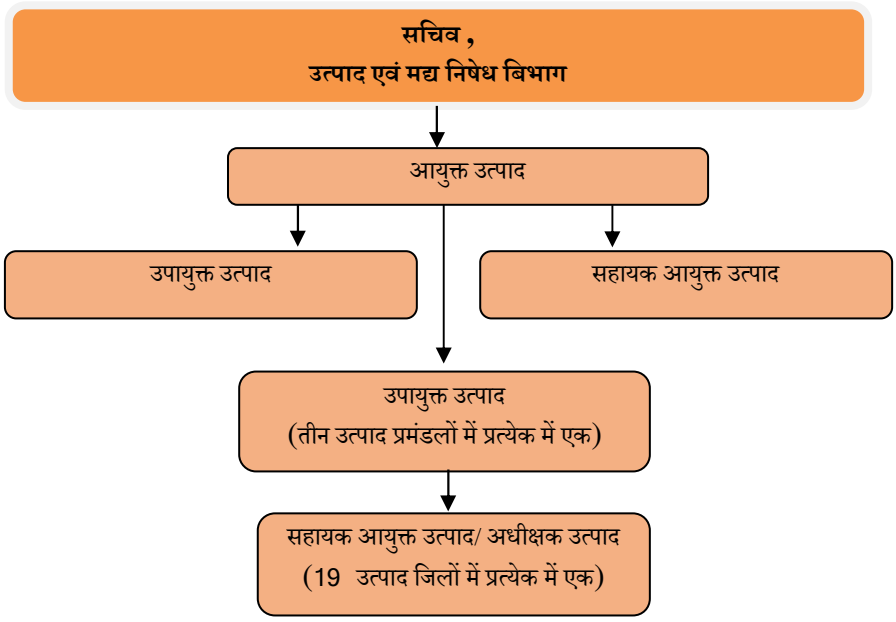

खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को राज्य में सभी प्रकार के मदिरा की आपूर्ति हेतु झारखण्ड राज्य बिवरेज़ कार्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) का गठन प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में अक्टूबर 2010 से थोक बिक्री हेतु अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त भंडारागार के रूप में किया गया था।

---

1 उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका।

2 बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू-सह-लातेहार, राँची, साहिबगंज तथा सरायकेला-खरसावाँ।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबन्धित कुल 23 इकाइयों में से 15 वार्षिक इकाइयों एवं एक द्विवार्षिक इकाई का चयन नमूना जांच हेतु किया और सभी चयनित इकाइयों[3] के अभिलेखों का नमूना जांच किया, जिसमे राज्य उत्पाद से संबन्धित ₹ 786.53 करोड़ राजस्व संग्रहित की गयी। हमारे लेखा परीक्षा में 8,114 मामलों में सन्निहित ₹ 92.03 करोड़ उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क इत्यादि का अनारोपण/अल्पारोपण का पता चला जैसा की विवरण **तालिका-3.1** में उल्लिखित है।

तालिका-3.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खुदरा उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती	79	47.00
2.	खुदरा अनुज्ञाधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ	893	16.99
3.	मदिरा का कम उठाव	457	5.64
4.	डेमरेज प्रभारों का उद्ग्रहीत नहीं होना	80	4.79
5.	अन्य मामले	6,605	17.61
कुल		**8,114**	**92.03**

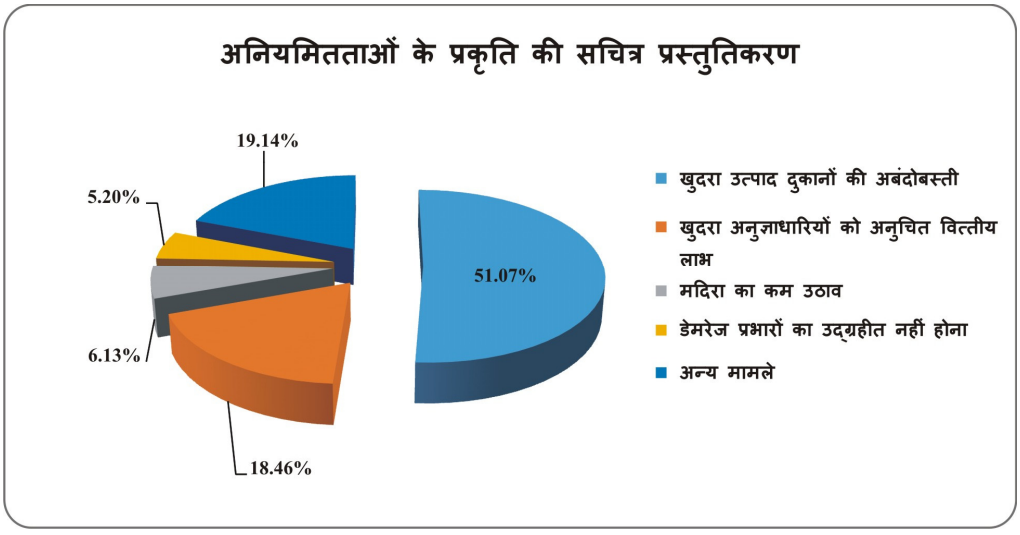

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा इंगित 7,274 मामलों में ₹ 64.81 करोड़ का अनुज्ञाशुल्क, कर शुल्क का नहीं/अल्प उद्ग्रहण, राजस्व की हानि एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 434 मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की राशि वसूल किया।

[3] सा.आ.उ. बोकारो, धनबाद, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, और राँची, अ.उ. चाईबासा, डाल्टंगंज-सह-लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, कोडरमा, लोहरदगा स्थित गुमला, सरायकेला-खरसांवा एवं आयुक्त उत्पाद, राँची का कार्यालय।

अनुवर्ती कंडिकाओं में हम ₹ 57.75 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं।

3.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

बिहार उत्पाद (बि.उ.) अधिनियम, 1915 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) तथा संकल्प संख्या 367 दिनांक 20 फरवरी 2009, गजट अधिसूचना संख्या 150 दिनांक 27 मार्च 2009, एवं उसके अंतर्गत निर्गत पत्र संख्या 191 दिनांक 31 मार्च 2013 में प्रावधान है :

i) खुदरा उत्पाद दुकानों की शत-प्रतिशत बंदोबस्ती;

ii) खुदरा उत्पाद दुकानों द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) का उठाव; एवं

iii) न्यू.प्र.मा. से अधिक उठाव पर अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का उद्ग्रहण।

अधिनियमों/नियमावलियों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने के कारण होने वाले राजस्व की हानि/अनुद्ग्रहण का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

3.4 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना

जिला उत्पाद प्राधिकारियों के सतत् प्रयास के अभाव के कारण उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में सरकार को ₹ 47 करोड़ के उत्पाद राजस्व से वंचित होना पड़ा।

बि.उ. अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावलियों और नीतियों के प्रावधानों के अधीन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार ने संकल्प सं. 367 दिनांक 20 फरवरी 2009 एवं तत्पश्चात गज़ट अधिसूचना सं. 150 तारीख 27 मार्च 2009 के द्वारा नीलामी/निविदा हेतु डाक के स्थान पर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सभी खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती करने, अधिक उत्पाद राजस्व की प्राप्ति, अवैध मदिरा के बिक्री पर रोक, एक ईकाई/व्यक्ति के एकाधिकार पर नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को मानक स्तर के मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देशों सहित एक नई उत्पाद नीति अंगीकृत किया। 26 फरवरी 2014 को आ.उ. के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत सभी स.आ.उ./अ.उ. दुकानों की संभाव्यता एवं न्यू.प्र.मा. को तर्क संगत बनाकर खुदरा उत्पाद दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती के लिए उत्तरदायी बनाये गए। खुदरा दुकानों की अबंदोबस्ती की स्थिति में, अनुज्ञा प्राधिकारियों को घटाए गये सुरक्षित शुल्क पर दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आ.उ. को अनुशंसा करने की विवेकाधीन शक्तियाँ है। उत्पाद राजस्व के हित में घटाए गए अनुज्ञा शुल्क पर बंदोबस्ती के प्रस्ताव को आ.उ. अनुमोदित कर सकते हैं।

हमने (जुलाई एवं दिसम्बर 2015 के बीच) देखा कि चार उत्पाद जिलों[4] में न्यू.प्र.मा. एवं अनुज्ञा शुल्क, अग्रिम अनुज्ञा शुल्क और प्रतिभूति राशि दर्शाते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों की सूची जिला स्तर पर तैयार की गई और इन सभी तथ्यों के साथ बिक्री अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गई। वर्ष 2014-15 के लिए 454 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया फरवरी एवं मार्च 2014 के दौरान संचालित की गई। तथापि, 79 खुदरा दुकानें[5] पूरे वर्ष न्यू.प्र.मा. के लक्ष्य का सही निर्धारण एवं पिछले वर्ष वास्तविक खपत के आकलन का अभाव में अबंदोबस्त रही। बिक्री अधिसूचनाओं के प्रकाशन के अलावे, विभाग द्वारा अन्य प्रयास नहीं किया गया। उत्पाद प्राधिकारियों के सतत प्रयास के कमी के कारण सरकार उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 47 करोड़ की राशि से वंचित हुई, जैसा कि **तालिका-3.2** में वर्णित है।

तालिका-3.2

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला का नाम	न्यू.प्र.मा. (एल.पी.एल./बी.एल.में)			अनुज्ञा शुल्क	उत्पाद शुल्क	कुल (अ.शु.+उ. शुल्क)
		दे.श./म.दे.श.	भा.नि.वि.श.	बीयर			
1	बोकारो	9,70,154	2,13,800	2,87,592	902.37	251.01	1153.37
2	धनबाद	1,28,688	1,93,824	3,09,120	449.90	189.77	639.67
3	जमशेदपुर	7,75,565	6,89,123	9,16,042	1731.15	666.33	2397.48
4	रामगढ़	2,39,957	1,32,952	1,64,234	377.28	132.10	509.38
कुल		**21,14,364**	**12,29,699**	**16,76,988**	**3460.70**	**1239.20**	**4699.90**

दे.श./म दे.श.. = देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, भा.नि.वि.श.= भारत निर्मित विदेशी शराब, एल.पी.एल.= लंदन प्रूफ लीटर, बी.एल.= बल्क लीटर।

हमारे द्वारा मामलें मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, आ.उ. ने बताया (अगस्त 2016) कि दिलचस्पी लेनेवाले आवेदकों की अनुपलब्धता के कारण, दुकाने अबंदोबस्त रही यद्यपि दुकानों की शतप्रतिशत बंदोबस्ती हेतु प्रयास किया गया। विभाग द्वारा दिया गया जवाब संतोष जनक नहीं था क्योंकि विभाग ने दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती हेतु मानक के आधार पर अथवा दुकानों की संभाव्यता के आधार पर न्यू.प्र.मा. के निर्धारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया। तदन्तर, पूर्व के अनुज्ञाधारियों से दुकानों की बंदोबस्ती हेतु कोई संपर्क नहीं किया गया अथवा खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती पर ये दुकानें क्यों अबंदोबस्त रही, की छानबीन नहीं की गई। चूंकि वृहत उत्पाद के राजस्व खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती पर निर्भर है,

---

4 बोकारो, धनबाद पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) एवं हजारीबाग-सह-चतरा सह-रामगढ़।

5 अबंदोबस्त/प्रस्तावित दुकानों की संख्या: बोकारो (23/98), धनबाद (10/147), जमशेदपुर (37/165) और रामगढ़ (9/44)।

सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा। अबंदोबस्त दुकानों के कारण अवैध शराब की आपूर्ति का भी जोखिम है।

3.5 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

शराब के कम उठाव के लिए उत्पाद शुल्क की हानि के समतुल्य वित्तीय दण्ड ₹ 5.57 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

बि.उ. अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/नीतियों के अधीन खुदरा उत्पाद दुकान के प्रत्येक अनुज्ञाधारी विक्रेता को अगले महीने के लिए देशी शराब की साप्ताहिक आवश्यकता को पूर्ववर्ती माह के अंतिम सप्ताह तक देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु अनन्य विशेषाधिकार के संवेदक को समर्पित करना है और विभाग द्वारा प्रत्येक दुकान के लिए हरेक प्रकार के शराब की निर्धारित न्यू.प्र.मा. उठाव करने के लिए बाध्य है, जिसमे विफल होने पर सरकार को हुए उत्पाद शुल्क की हानि के बराबर वित्तीय अर्थदण्ड विक्रेता से वसूलनीय होगा।

हमने (जुलाई 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) छः उत्पाद जिलों[6] में शराब की खपत विवरणी की नमूना जाँच की एवं पाया कि वर्ष 2014-15 में 701 खुदरा दुकानों में से 447 विक्रेताओं को जिलों के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों से दे.श./ म.दे.श./भा.नि.वि.श./बीयर के 187.41 लाख एल.पी.एल./बी.एल. का उठाव करना अपेक्षित था, परन्तु केवल 152.30 लाख एल.पी.एल./बी.एल. का उठाव किया गया, परिणास्वरूप 35.11 लाख एल.पी.एल./बी.एल. शराब का कम उठाव हुआ। विभाग ने शराब के कम उठाव के लिए उत्पाद शुल्क के क्षति के समतुल्य ₹ 5.57 करोड़ का आर्थिक दण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. (अगस्त 2016) ने बताया कि कुल राशि में से ₹ 5.55 करोड़ समायोजित अनुज्ञाधारियों के सुरक्षित जमा से किया गया, शेष राशि का समायोजन प्रक्रियाधीन था। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

[6] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग-सह-चतरा-सह रामगढ़, राँची-सह-खूँटी एवं गुमला-सह-सिमडेगा।

3.6 डेमरेज प्रभारों[7] का आरोपण नहीं होना

जे.एस.बी.सी.एल. गोदामों/डिपो में पड़े भा.नि.वि.श./बीयर के स्कंधों पर ₹ 4.16 करोड़ के डेमरेज प्रभारों का आरोपण नहीं किया गया।

जे.एस.बी.सी.एल. द्वारा अप्रैल 2013 में निर्गत परिपत्र के साथ पठित मद्य नीति के अनुच्छेद 8(बी.) एवं 10(बी.) में जे.एस.बी.सी.एल गोदामों में प्राप्ति की तिथि से म.दे.श. के 120 दिनों से अधिक पुराना स्कन्ध एवं बीयर की 60 दिनों से अधिक पुराना स्कन्ध पर ₹ दो प्रति पेटी प्रतिदिन की दर से डेमरेज प्रभार आरोपित करने का प्रावधान है।

हमने (जुलाई 2015 और मार्च 2016 के बीच) वर्ष 2014-15 में 11 उत्पाद जिलों[8] के 13 जे.एस.बी.सी.एल. गोदामों[9] के उत्पाद अभिलेखों, आंकड़ो/सूचनाओं के नमूना जाँच में पाया की 24 वितरकों/निर्माताओं[10] के पास भा.नि.वि.श./बीयर की 1.32 लाख पेटियाँ संचयन के स्वीकार्य सीमा से तीन दिन से 570 दिनों अधिक तक जे.एस.बी.सी.एल. गोदामों में पडे हुए थे। तथापि, जे.एस.बी.सी.एल. ने वितरकों/ निर्माताओं पर डेमरेज प्रभार का ₹ 4.16 करोड़ की राशि आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. ने (अगस्त 2016) बताया कि जे.एस.बी.सी.एल. को सभी जिलों में डेमरेज प्रभारों की गणना एवं वितरकों/निर्माताओं से प्रभारों के भुगतान हेतु निर्देशों/आदेश दिये गये। तदन्तर, आयुक्त ने बताया की अंतिम गणना के पश्चात डेमरेज प्रभारों की वसूली किया जाएगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

3.7 उत्पाद राजस्व का अवरुद्ध होना

भा.नि.वि.श. के स्कन्ध को उत्पाद प्रदत्त भंडारगार में स्थानांतरित नहीं किया जाने के फलस्वरूप ₹ 90.17 लाख का उत्पाद राजस्व अवरुद्ध हुआ

बि.उ. अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी मादक द्रव्य, आसवनी, मद्य निर्माणशाला, भंडारगार या अन्य अनुज्ञप्ति धारित संचयन स्थान, जो

---

7 विलम्ब शुल्क।

8 बोकारो, धनबाद, दुमका-सह-गोड्डा, देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, पलामू-सह-लातेहार, राँची-सह-खूंटी, सरायकेला-खरसांवा एवं चाईबासा।

9 बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, राँची, रामगढ़, सरायकेला एवं चाईबासा।

10 एडी ब्राउसन ब्रेव (प्रा.) लिमिटेड, एलाइड ब्लेंडर्स एवं डिस्टलरी (प्रा.) लिमिटेड, बकार्डी इंडिया (प्रा.) लि., बीम ग्लोबल स्प्रीट एंड वाईन इंडिया लि., भूटान ब्रेव. (प्रा.) लि., कार्लस्बर्ग वाईन लि., देवांस मॉडर्न ब्रेव. लि, डियाजियों इंडिया (प्रा.) लि., फोरसीजन वाईन लि., जगजीत इंडस्ट्रीज लि., जैगपिन ब्रेव. लि., खोडेए इंडिया लि., मोहन मीकिन्स लि., माउन्ट शिवालिक ब्रेव., नासिक विटर्न्स (प्रा.) लि., परनोड रिकॉर्ड इंडिया (प्रा.) लि.,रेडिको खेतान लि., सब मिलर इंडिया लि., श्री ओम बोटलर्स और ब्लेंडर्स (प्रा.) लि., सोम डिस्ट एवं ब्रेव. (प्रा.) लि., स्पेन्सर डिस्ट. एवं ब्रेव. (प्रा.) लि., श्री लैब ब्रेव. (प्रा.) लि., यूनाइटेड ब्रेव. लि. और यूनाइटेड स्प्रीट्स लिमिटेड।

इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित, प्राधिकृत अथवा जारी है, से बाहर नहीं किया जा सकता जब तक अनुज्ञाधारी अध्याय V के अधीन देय उत्पाद कर (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं कर दिया हो अथवा उसके भुगतान से संबन्धित एक बंध पत्र का निष्पादन नहीं किया हो। तदनुसार, भा.नि.वि.श. के बोटलिंग प्लांट के एक अनुज्ञाधारी को उत्पाद प्रपत्र 19 बी एवं 19 सी में अनिवार्य रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है; एक अनुज्ञप्ति बंध के अधीन भंडार गृह में भा.नि.वि.श. का संचयन के लिए एवं दूसरे स्कन्ध की बिक्री के लिए जे.एस.बी.सी.एल/थोक विक्रेताओं को उत्पाद कर के भुगतान के पश्चात भा.नि.वि.श./बीयर की आपूर्ति किया जाना है।

हमने (जुलाई 2015) बोकारो उत्पाद जिला के वार्षिक स्कन्ध प्रतिवेदन 2014-15 के नमूना जाँच में पाया कि एक अनुज्ञाधारी,[11] जो दोनों अनुज्ञप्ति धारण करता है, ने सितम्बर से नवम्बर 2013 के बीच निर्मित एक लाख एल.पी.एल. भा.नि.वि.श. को प्रदत जे.एस.बी.सी.एल./थोक विक्रेता को आपूर्ति हेतु कर प्रदत्त भंडारगार को स्थानांतरित नहीं किया। बंधित भंडारगार के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की स्वीकृति विभाग द्वारा इस प्रत्याशा में दिया जाता है कि भा॰नि.वि.श में इसके रूपान्तरण के पश्चात उत्पाद कर उद्ग्रहित किया जाएगा। चूंकि भा॰.नि.वि.श. का 19 बी से 19 सी में स्थानांतरित होने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है, अनुज्ञाधारी ने स्कन्ध को 19 बी में रोक कर रखा, फलस्वरूप ₹ 90.17 लाख का उत्पाद राजस्व अवरुद्ध हुआ।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. ने बताया (अगस्त 2016) कि भा.नि.वि.श. का 19 बी से 19 सी में स्थानांतरण एवं उत्पाद राजस्व कि वसूली सुनिश्चित करने हेतु स.आ.उ. बोकारो को निर्देशित किया गया है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

3.8 अनुज्ञा शुल्क का वसूली नहीं किया जाना

दे.श./म.दे.श. की आपूर्ति निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक किए जाने पर ₹ 11.49 लाख की अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार ने दे.श./म.दे.श. के संग्रहण एवं जिलों को निर्धारित न्यू.प्र.मा. पर ₹ दो प्रति एल.पी.एल. के विहित दर से अनुज्ञा शुल्क के अग्रिम भुगतान के उपरांत खुदरा अनुज्ञाधारी विक्रेताओं को राज्य के विभिन्न भंडारगारों से थोक आपूर्ति हेतु जे.एस.बी.सी.एल का गठन किया। तदन्तर, अगर वर्ष के अंतर्गत कॉर्पोरेशन द्वारा जिला के निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक मदिरा की आपूर्ति की जाती है तो अधिक आपूर्ति किए गये मात्रा पर उसी दर से जे.एस.बी.सी.एल. से अनुज्ञा शुल्क वसूलनीय था।

[11] मेसर्स श्री ओम बोटलर्स एण्ड ब्लेण्डर्स (प्रा.लि.), बालीडीह, बोकारो।

हमने (जुलाई 2015 तथा मार्च 2016 के बीच) जे.एस.बी.सी.एल. के अनुज्ञप्ति संचिकाओं, खपत विवरण एवं इससे संबंधित नौ उत्पाद जिलों[12] से संबंधित संचिकाओं के नमूना जाँच में पाया कि वर्ष 2014-15 में आठ जे.एस.बी.सी.एल. भंडारगारों[13] ने दे.श./म.दे.श. के निर्धारण न्यू.प्र.मा. के 19.64 लाख एल.पी.एल. के विरुद्ध 25.39 लाख एल.पी.एल. की आपूर्ति की, फलस्वरूप दे.श./म.दे.श. के 5.74 लाख एल.पी.एल. की अधिक आपूर्ति की गयी। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप, अधिक आपूर्ति के लिए जे.एस.बी.सी.एल से अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 11.49 लाख की वसूली नहीं किया गया।

हमने मामलें को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया, आ.उ. ने बताया (अगस्त 2016) कि कंपनी के सुरक्षित जमा से शुल्क समायोजित कर लिया जायगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

[12] चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू-सह-लातेहार एवं सरायकेला-खरसांवा ।

[13] चाईबासा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, राँची एवं सरायकेला।